भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2191
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

लोक सेवकों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई

2191. श्री नीरज मौर्य :

श्री सुनील बोस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सामने आए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है, जिनमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर लोक सेवकों या अभिकरणों के विरुद्ध विधिक या न्यायिक कार्रवाई आरंभ की गई है ;

(ख) सरकार द्वारा कैग की रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर विधिक अनुपालन और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का मंत्रालयों और राज्यों में कैग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कानून में संशोधन करने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन और कोयला उत्पादन में वृद्धि के निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट संख्या 7/2012-2013 के आधार पर एक मामला अर्थात आरसी33/2022-ईओ-III-दिल्ली तारीख 12.07.2022 पंजीकृत किया है। जांच पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में तारीख 31.03.2025 पर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी ।

(ख) : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में विधिक अनुपालन और जवाबदेही में सुधार करने के उपाय किए गए है । इसमें संबंधित मंत्रालयों

और विभागों द्वारा सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की परीक्षा करना और जहां आवश्यक हो कार्रवाई नोट (एटीएनएस) तैयार करना लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा सीएजी की रिपोर्टों की समीक्षा करना और फिर अनुपालन पर नजर रखने के साथ सिफारिशें करना; मंत्रालयों और विभागों के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना; अनसुलझे लेखापरीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण रिपोर्टों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना; वित्तीय शासन, आंतरिक नियंत्रण और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), वित्तीय शक्तियों के नियमावली (डीएफपीआर) और अन्य सुसंगत वित्तीय अनुदेश के अनुपालन को बढ़ाने के लिए व्यय विभाग और अन्य उपयुक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अनुदेश का जारी करना; और सुसंगत विधिक ढांचे शामिल है ;

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।
